

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा दायपुर-अटल नगर
जिला-दायपुर (छ.ग.)

क्र. / एफ-7-105-31 / एस-2 / 2019, अटल नगर, दिनांक / 02 / 2020
प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग
अभिकापुर (छ.ग.)

विषय:- सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विकासखण्ड अन्तर्गत परसाढ़ोढ़ा जलाशय योजना
संदर्भ :- की प्रशासकीय स्वीकृति।
प्र.अ. का पत्र क्र.-384 /बो.प्र./ प्रशा.स्वी./ 2019 / 14708 रायपुर, दि. 20.11.2019.

सदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-384/बो.प्र./प्रशास्त्री/2019/14708 रायपुर, दि. 20.11.2019.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विकासखण्ड अन्तर्गत परसाढोड़ा जलाषय योजना हेतु लागत राशि रु. 285.70 लाख (रुपये दो करोड़ पचासी लाख सत्तर हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से कुल 140 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
 3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे ।
 4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।
 5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना लेखा शीर्ष—4702—लघु सिंचाई योजना पर पूंजी परिव्यय, [101] सतही जल 0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना (3828)—लघु सिंचाई योजना, #97— निर्माण कार्य, 003—बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा ।
 6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 21.02.2020 द्वारा सहमति प्राप्त है।
 7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
 8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
 9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤਥਾ ਆਦੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰ

યાકુબ ખેસસ
સંયુક્ત સાચિવ
છત્તીસગढ શાસન
જલ સંસાધન વિભાગ

पृष्ठ 744 / एफ-7-105-31 / एस-2 / 2019,

अटल नगर, दिनांक 20/02/2020

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला—सूरजपुर। (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
- 13 अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर, जिला—सरगुजा (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, जिला—सूरजपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
१५/२०१९